कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर खण्ड जोधपुर

क्रमांक :–लेखा– / निविदा / देव. / 2018 / दिनांक :–

निविदा सूचना 2 / 2018

राजस्थान के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विभागीय धर्मशाला जसवन्त सराय जोधपुर में वर्ष 2018–19 हेतु निम्नाकिंत मदो हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती हैं:–

क्र. सं.	मद	अनुमानित राशि (लाखो में)	बोली शुल्क (रूपये में)	अमानत राशि
1	2	3	4	5
1	ठेका नाई की दो कुर्सियां लगाने	0.41 वार्षिक	500	820
2	ठेका आरोगण नैवेद्य	4.00 वार्षिक	1000	8000
3	ठेका खाट बिस्तर	8.61 वार्षिक	1500	17220
4	ठेका भोजनशाला	1.49 वार्षिक	500	2800
5	ठेका **Pay & use** के आधार पर	4.21 वार्षिक	1000	8420
6	चाय–स्टाल व एस.टी.डी. बूथ संचालन	3.32 वार्षिक	1000	6640

बिड संख्या UBN NO.	
1. बोली दस्तावेज बिक्री की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि	दिनांक 07.02.2018 समय 11.00 बजे से दिनांक 22.02. 2018 कार्यालय समय तक। बोली प्रस्तुत करने की विधि बन्द लिफाफे मे जमा करानी होगी।
2. बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 23.02.2018 दोपहर बाद 02.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की दिनांक व समय व स्थान	दिनांक 23.02.2018 दोपहर बाद 03.00 से

Note: इस नीलामी संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइटं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

ठेका नाई की दो कुर्सियां लगाने का जसवंत सराय वर्ष 2018–19
(अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019)

1. कार्य का नाम	:– ठेका नाई की दो कुर्सियों का।
2. अमानत राशि	:– 820/– रूपये।
3. निविदा शुल्क	:– 500/– रूपये रसीद नं. .... दिनांक ....
4. अनुबन्ध अवधि	:– 01.04.2018 से 31.03.2019
5. निविदा जारी करने की तिथि	:– 07.02.2018 से ....
6. निविदा खोलने की तिथि	:– 22.02.2018
7. निविदा जारी की गई	:– मैं/श्री ....

....

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

:: ठेका नाई की दो कुर्सियां लगाने की अनुबन्ध शर्तें वर्ष 2018–2019 ::

जसवंत सराय, जोधपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए नाई की दो कुर्सियां लगाने संबंधी शर्तो का विवरण निम्न है :–

1. देवस्थान विभाग, जोधपुर के अधिनस्थ जसवन्त सरा य जोधपुर में नाई की दो कुर्सियां लगाने का ठेका वर्ष 2018–2019 के लिए रहेगा। जिसकी कुल अनुमानित राशि 0.41 लाख रूपये होगी।
2. यह ठेका एक वर्ष की अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के लिए दिया जावेगा ठेके की अवधि किसी भी परिस्थिति में नही बढ़ाई जावेगी।
3. निविदादाता को कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर से प्राप्त शर्त नामे पर हस्ताक्षर करने होगें।
4. निविदा स्वीकृत करने का अधिकार सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर को होगा।
5. प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि 820/– रूपये डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के नाम देना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा मान्य नही होगी।
6. निविदा अधिकतम प्रस्ताव वाले के पक्ष में स्वीकृत की जावेगी ठेका स्वीकृति की सूचना के पश्चात् तीन दिवस में अथवा ठेका प्रारम्भ की तिथि जो पहले हो ठेके की एक मुस्त राशि जमा करानी होगी अन्यथा ठेका निरस्त करते हुए अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. ठेकेदार द्वारा यात्रियों के बाल काटने की राशि नगर क्षौरकार संघ जोधपुर द्वारा स्वीकृत दर ही वसूल की जावेगी। उक्त राशि से अधिक राशि की वसूली किसी भी हालत में नही की जावेगी।
8. निविदादाता को स्वीकृति के पश्चात् उपरोक्त दरें जसवंत सराय के स्पष्ट दर्शी भाग पर साईन बोर्ड पर लगाकर प्रदर्शित करना होगा। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।
9. नाई की दो कुर्सियां लगाने हेतु जो स्थान जसवंत सराय के बाहर दरवाजे के पास दिया जावेगा वहीं पर कुर्सियां लगानी होगी।
10. ठेका स्वीकृति के पश्चात् 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर ईकरारनामा भरकर देना होगा।
11. नाई की कुर्सियां अगर ठेकेदार जसवंत सराय में रखता है तो उसका किराया 75/– रू. प्रतिमाह अलग से चार्ज किया जावेगा।
12. ठेके की किसी भी शर्त में उल्लंघन पाये जाने पर मौका सुनवाई सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर के समक्ष होगी तथा ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
13. स्थाई पता के लिए राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से पता प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
14. देवस्थान विभाग की किसी प्रकार की राशि बकाया होगी तो निविदा मान्य नही होगी।
15. जमानती का ईकरारनामा मय नोटेरी से प्रमाणित कराके प्रस्तुत करना होगा।
16. ठेकेदार स्वयं व नौकर या अन्य व्यक्ति को सराय परिसर (आवंटित कमरा या स्थान) में शराब नहीं पिलायेगा व नही पियेगा।
17. इस नीलामी संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइटं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

प्रस्तावित राशि ....

अक्षरे रूपये .... निविदादाता के हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

ठेका आरोगण नैवेद्य वर्ष 2018–19
(अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019)

1. कार्य का नाम	:– ठेका आरोगण नैवेद्य की वस्तुओं का।
2. अमानत राशि	:– 8000 / – रूपये।
3. निविदा शुल्क	:– 1000 / – रूपये रसीद नं. .... दिनांक ....
4. अनुमानित मूल्य	:– 4 लाख
5. अनुबन्ध अवधि	:– 01.04.2018 से 31.03.2019
6. निविदा जारी करने की तिथि	:– 07.02.2018 से ....
7. निविदा खोलने की तिथि	:– 22.02.2018
8. निविदा जारी की गई	:– मैं / श्री ....

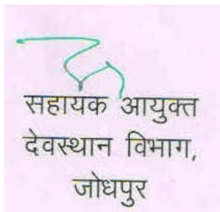

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

:: ठेका आरोगण नैवेद्य वर्ष 2018–2019 ::

1. देवस्थान विभाग, जोधपुर के अधिनस्थ एवं नियंत्रित मंदिरों में नैवेद्य आरोगण का ठेका वर्ष 2018–2019 के लिए रहेगा। जिसकी कुल अनुमानित राशि 4 लाख रूपये होगी।
2. सप्लाई किये जाने वाले सामान के संबंध में दिये जाने वाले सभी करों का उत्तरदायित्व सप्लायर का होगा।
3. नैवेद्य आरोगण के प्रतिमाह सामान की सप्लाई माह के अन्त में प्राप्त मांग पत्र के आधार पर मंदिरवार सप्लाई करनी होगी जिसके लिए मांग पत्र विभाग द्वारा दिया जावेगा अथवा प्रतिमाह निश्चित सामान की सूची दे दी जावेगी।
4. प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि 8000/– रूपये डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के नाम देना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा मान्य नही होगी।
5. सप्लाई सामान की श्रेणी उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
6. सप्लाई सामान को निरीक्षण करने का अधिकार विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. सप्लाई सामान की श्रेणी घटिया होने पर दरों में कमी की जा सकेगी जिसका अधिकार सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, के पास सुरक्षित रहेगा।
8. निविदादाता को प्रत्येक सामान की अलग–अलग दरें देनी हागी जो पूरे वितीय वर्ष की अवधि अर्थात् ठेका स्वीकृति तिथि से 31.03.2019 तक मान्य रहेगी।
9. सामान सप्लाई में व्यवधान आने पर विभाग अन्य स्त्रोत से सामान क्रय कर सकेगा। जिसके लिए क्रय अन्तर राशि के लिए सफल निविदादाता जिम्मेदार रहेगा व अन्तर राशि प्रथमतः निविदादाता से वसूली की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता का निर्धारण न्यूनतम बोली के आधार पर किया जायेगा।
11. सप्लाई किये जाने वाले सामान का बिल माह के अन्त में मंदिर वाईज बनाकर प्रस्तुत किया जावेगा जिसका भुगतान कोषालय से प्राप्त कर दिया जावेगा।
12. सामान की सप्लाई संलग्न सूची अनुसार ही मान्य होगी।
13. नैवेद्य आरोगण के सामान के सप्लाई की दरें समस्त कर एवं और गाड़ी भाड़ा सहित देनी होगी।
14. निविदादाता को संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चूकती प्रमाण पत्र जी.एस.टी की पंजियन संख्या एवं संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी से जी.एस.टी/बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
15. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 07 दिवस के भीतर प्रारूप (17) में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा जिसमें अनुमानित सामग्री जो वितीय वर्ष में सप्लाई होनी है के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
16. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।
17. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण पत्र के हस्ताक्षर करेगा।

18. इस नीलामी संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइटं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

प्रस्तावित राशि ....

अक्षरे रूपये ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

<u>कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर</u>

ठेका खाट बिस्तर आदि जसवंत सराय वर्ष 2018–19
(अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019)

1. कार्य का नाम	:– ठेका खाट बिस्तर जसवंत सराय, जोधपुर।
2. अमानत राशि	:– 17220/– रूपये।
3. निविदा शुल्क	:– 1500/– रूपये रसीद नं. .... दिनांक ....
4. अनुबन्ध अवधि	:– 01.04.2018 से 31.03.2019
5. निविदा जारी करने की तिथि	:– 07.02.2018 से ....
6. निविदा खोलने की तिथि	:– 22.02.2018
7. निविदा जारी की गई	:– मैं/श्री ....
	....

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

:: ठेका खाट बिस्तर आदि की शर्तें वर्ष 2018–2019 ::

जसवंत सराय जोधपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए चारपाई (निवार/मूंझ), बिस्तर, रजाई, तकिया व बाल्टी यात्रियों को किराये पर देने के लिए शर्तों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. देवस्थान विभाग, जोधपुर के अधिनस्थ जसवन्त सराय जोधपुर में ठेका खाट बिस्तर का ठेका वर्ष 2018–2019 के लिए रहेगा। जिसकी कुल अनुमानित राशि 8.61 लाख रूपये होगी।
2. यह ठेका खाट बिस्तर एक वर्ष की अवधि अर्थात् 01.04.2018 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगा। ठेके की अवधि घटाने व बढ़ाने का अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर को होगा।
3. अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाताओं के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जाएगी।
4. स्वीकृत निविदादाता को निविदा स्वीकृति के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र देना होगा।
5. बयाना/अमानत राशि रूपये 17220 /– अक्षरे सतराह हजार दो सौ बीस मात्र डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के नाम देना होगा। अर्थात् बगैर अमानत राशि के कोई निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाता को छोड़कर शेष की अमानत राशि वापस लौटा दी जाएगी। नकद बयाना/अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
6. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग, राज. उदयपुर को होगा।
7. अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाता के द्वारा प्रस्तावित दर ठेका समिति द्वारा उचित पाये जाने पर ठेका राशि की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी अन्यथा उसकी अमानत राशि रू. 17220/– जब्त की जाकर द्वितीय बोलीदाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा। ठेके की शेष राशि ठेका स्वीकृति की सूचना के पश्चात् तीन दिवस की भीतर एक मुश्त जमा करानी होगी। ठेकेदार चाहे तो शेष राशि तीन किश्तों में 18 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने हेतु आवेदन कर सकेगा इस पर सहायक आयुक्त के निर्णय के पश्चात् वह शेष राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित निम्नानुसार किश्तों में जमा करा सकेगा। किश्तों हेतु संबंधित ठेकेदार को उक्त तीन किश्तों के चैक अग्रिम प्रस्तुत करने होंगे।

   <u>प्रथम किश्त :–</u>

   स्वीकृत ठेका राशि का एक चौथाई राशि ठेका आरम्भ होने की तिथि अप्रेल 01, 2018 तक जमा करानी होगी।

   <u>द्वितीय किश्त :–</u>

   स्वीकृत ठेका राशि की एक चौथाई राशि मय ठेका आरम्भ होने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जून 30, 2018 तक जमा कराना होगा।

   <u>तृतीय किश्त :–</u>

   बकाया ठेका राशि की एक चौथाई राशि मय ठेका आरम्भ होने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित सितम्बर 30, 2018 तक जमा कराना होगा।

8. ठेके की बकाया राशि (यदि कोई हो) को जमा नहीं कराने (निश्चित अवधि) पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से वसूली की जा सकेगी।
9. ठेकेदार द्वारा बकाया राशि (यदि कोई हो) को जमा नहीं कराने पर उसका सारा सामान जब्त कर लिया जायेगा।
10. खाट बिस्तर व बाल्टी निविदादाता द्वारा स्वयं को लाना होगा जिसकी प्रतिदिन 24 घंटे की दर निम्नानुसार होगी :–

क्र.सं	नाम नग	वर्तमान प्रतिनग दर	प्रस्तावित प्रतिनग दर
1	चारपाई निवार, मूंझ 24 घंटे	5.00 रू. प्रति	10.00 रू. प्रति
2	बिस्तर गद्दे 24 घंटे	5.00 रू. प्रति	
3	रजाई 24 घंटे	5.00 रू. प्रति	
4	तकिया 24 घंटे	2.00 रू. प्रति	
5	चद्दर 24 घंटे	2.00 रू. प्रति	
6	बाल्टी 24 घंटे	2.00 रू. प्रति	

क्रम संख्या एक से चार तक का पूरा सैट लेने पर 15 रू. सैट चार्ज होगा व प्रस्तावित दर अनुसार 25 रू. प्रति सेट चार्ज होगा।

उक्त दरों पर ही सामान किराये पर दिया जावेगा तथा 24 घंटे तक का समय होने पर एक दिन का तथा 24 घंटे से अधिक होने पर अगले 24 घंटो को मिलाते हुए किराया वसूल किया जावेगा। किराये की रसीद यात्री को देनी होगी जिसमें सामान का किराया पर लेने की तारीख व समय दर्ज होगा।

11. निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पश्चात् उपरोक्त दर जसवंत सराय के द्वारा पर स्पष्टदर्शी भाग पर साईनबोर्ड लगाकर एवं एक से अधिक स्थानों पर प्रदर्शित करना होगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. किसी भी परिस्थिति में विभाग द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक किराया वसूल नही किया जा सकेगा तथा पुख्ता शिकायत प्राप्त होने पर एवं शिकायत के प्रथम निर्णय पर प्रथम बार 500/– रूपये द्वितीय बार 1000/– रू. व तृतीय बार 2000/– रू. की वसूली (पेनल्टी) अमानत राशि में से वसूल की जावेगी।
13. स्वीकृत निविदादाता द्वारा जसवंत सराय, जोधपुर में चारपाई/बिस्तर आदि किराये पर दिये जावेंगे। किन्ही भी परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति द्वारा उपरोक्त वस्तुएँ किराये पर देने के लिए इजाजत नहीं दी जावेगी और न ही दूसरे व्यक्ति के नाम स्थानान्तरित किया जावेगा।
14. स्वीकृत निविदादाता द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों को रखने की परिस्थिति में उनके नाम, पत्राचार के पते मय फोटो हस्ताक्षर प्रमाणित कर की सूचयना सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर व प्रबंधक, जसवंत सराय को इसकी प्रति देनी होगी। कर्मचारियों के परिवर्तन होने पर उसकी सूचना भी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
15. स्वीकृत निविदादाता को विभाग द्वारा संचालित जसवंत सराय में निर्धारित कमरा न. 16,17,18 में ही सामान रखना होगा जिसके लिए प्रतिमाह किराया 1350/– रू. होगा एवं प्रस्तावति दर 1800 रू. प्रतिमाह किराया देना होगा एवं किराया अग्रिम जमा कराना होगा।
16. सामान रखे कमरों में 60 (साठ) वाट से अधिक बल्ब का प्रयोग नही किया जा सकेगा। विद्युत रोशनी के अतिरिक्त अन्य विद्युत उपकरण जैसे हिटर, टी. वी. आदि का उपयोग करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
17. ठेके की अवधि समाप्त होने पर उसी दिन कमरों को खाली कर दिया जावेगा तथा बकाया किराया उसी दिन जमा कराना होगा अन्यथा विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना के कमरों का ताला तोड़ते हुए सामान जब्त करने का अधिकर होगा।
18. किराये पर दी जाने वाली सामग्री का निरीक्षण का अधिकार विभाग के अधिकृत कर्मचारी में निहित है तथा आवश्यकता होने पर सामान का निरीक्षण करवाना होगा।
19. रसीद पंजिका का निरीक्षण विभाग के निरीक्षक/प्रबंधक जसवंत सराय तथा सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।

20. प्रत्येक यात्री को सामान की पक्की छपी हुई रसीद किराये की देना अनिवार्य होगा तथा यात्रियों से अग्रिम किराया की भी वसूली नहीं की जावेगी जितनी राशि बनती है उतनी ही राशि वसूल की जावे उससे अधिक राशि वसूल न की जावें।
21. सराय में रखे सामान की सुरक्षा निविदादाता (ठेकेदार) की स्वयं की होगी इसके लिए विभाग के कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होगे।
22. ठेके की स्थिति में किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर बाद निर्णय मौका सुनवाई सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुरके समक्ष होगी तथा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही पर पुनः ठेका देने के लिए खर्चा व कम राशि की वसूली प्रथम ठेकेदार से की जावेगी।
23. ठेकेदार द्वारा छपी हुई रसीदों का आरम्भ करने से पूर्व प्रबंधक जसवंत सराय के प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक होगा।
24. ठेकेदार द्वारा कमरे/कोटड़ी का किराया अग्रिम जमा नहीं कराने पर बकाया राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जावेगा तथा ब्याज मासिक किराये पर लगाया जावेगा।
25. यात्रियों को किराये पर उपलब्ध सामान साफ सुथरें एवं सही हालात में देना होगा।
26. सराय में ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग ठेकेदार द्वारा नही किया जा सकेगा।
27. राशि जमा नहीं करवाने पर जब्त सामान को विभागीय कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को किराये पर दिया जावेगा और उसकी सम्पूर्ण राशि जमा कर ली जावेगी अधिक राशि के लिए दावा नही किया जावेगा तथा किराये दिये सामान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
28. ठेके की अवधि में विभाग को आवश्यकता होने पर अथवा शर्तो के उल्लंघन करने की परिस्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार विभाग में निहित व सुरक्षित होगा।
29. ठेका स्वीकृति के एक माह में बकाया ठेका राशि हेतु दो जमानती जिनका स्थाई पता मय राशनकार्ड की प्रति के राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर संलग्न करना होगा एवं जमानतियों को अपनी सम्पति जो कम से कम बकाया ठेका राशि के बराबर हो का विवरण नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करा कर प्रस्तुत करना होगा।
30. आयकर आदि समस्त कर के चुकाने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की स्वयं की होगी।
31. स्थाई पता मय राशनकार्ड की प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा संलग्न करना होगा।
32. देवस्थान विभाग में किसी भी प्रकार की बकाया राशि होन पर निविदादाता की निविदा मान्य नही होगी।
33. ठेकेदार एवं उसका स्टाफ कर्मचारी या अन्य किसी भी व्यक्ति को सराय परिसर अथवा आवंटित कमरों में शराब, मांस एवं अन्य नशीलें पदार्थों का सेवन नहीं कर सकेगा एवं न ही करायेगा।
34. ठेकेदार को अन्य सुविधा लेने हेतु अलग से आवेदन करना होगा।
35. इस नीलामी संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइटं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

प्रस्तावित राशि ....

अक्षरे रूपये .... निविदादाता के हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

ठेका जसवंत सराय जोधपुर में भोजनशाला संचालित करने का
(अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019)

1. कार्य का नाम	:— ठेका जसवंत सराय जोधपुर में भोजनशाला संचालित करने का।
2. अमानत राशि	:— 2800 ⁄ — रूपये।
3. निविदा शुल्क	:— 500 ⁄ — रूपये रसीद नं. .... दिनांक ....
4. अनुबन्ध अवधि	:— 01.04.2018 से 31.03.2019
5. निविदा जारी करने की तिथि	:— 07.02.2018 से ....
6. निविदा खोलने की तिथि	:— 22.02.2018
7. निविदा जारी की गई	:— मैं ⁄ श्री ....

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

C:\Users\Dell\Desktop\Sarai Revenue Tender copy 18-19.doc

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

भोजनशाला संचालन हेतु शर्ते

01 देवस्थान विभाग, जोधपुर के अधिनस्थ जसवन्त सरा य जोधपुर में भोजनशाला का ठेका वर्ष 2018–2019 के लिए रहेगा। जिसकी कुल अनुमानित राशि 1.49 लाख रूपये होगी।

02 जसवंत सराय जोधपुर में यात्रियों की सुविधा हेतु ठेका 01.04.18 से 31.03.19 तक की अवधि का होगा। भोजनशाला का ठेका निश्चित परिसर (कमरा व आगे का चौक) में संचालित करने के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि किसी भी परिस्थिति में नही बढाई जायेगी।

03 अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाताओं के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जाएगी।

04 निविदादाता को कार्यालय में सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर से प्राप्त शर्त नामे पर हस्ताक्षर करने होगें व 500/– के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पर एग्रीमेंट स्वीकृति के नाम भरना होगा।

05 प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि 2860/– का बैंकर चैक/बैंक ड्राफट देना होगा बिना अमानत राशि के निविदा मान्य नही होगी।

06 ठेकेदार भोजनशाला चलाने को लाईसेंस नगर निगम/लेबर विभाग/रसद विभाग या जो भी लेना होगा स्वयं के खर्चे से लेगा।

07 निविदादाता को भोजन की दरें भोजनशाला के बाहर स्पष्ट दर्शी भाग पर साईन बोर्ड लगा कर प्रदर्शित करना होगा।

08 निविदा आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकृत की जा सकेगी तथा निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकार/आयुक्त/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को होगा।

इन शर्तों का उल्लघंन करने पर ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

भोजन की दरें निम्मानुसार होगी :–

01 प्रति थाली दर 40 रू. होगी जिसमें 6 चपाती (तवा रोटी) एवं सब्जियों में दाल, कड्डी एवं हरी सब्जी होगी।

02 सब्जियों में दाल, कड्डी एवं हरी सब्जी होगी।

03 पापड़, दही, निंबू एवं चावल लेने पर अतिरिक्त चार्ज लिया जा सकेगा।

04 स्पेशल सब्जी, देशी घी, दही व छाछ के अतिरिक्त चार्ज बाजार भाव के अनुसार ले सकेगा।

05 खाना हाईजनिक, साफ सफाई से व गरम देने के लिए पाबन्द होगा। मॉसाहारी खाना नही दे सकेगा। शराबी व अन्य नशे युक्त व्यक्ति को खाना देने से मना कर सकेगा।

06 ठेकेदार स्वयं या अपने नोकरों का विवरण मैनेजर जसवंत सराय को मय पूरा विवरण के देगा।

07 भोजनशाला में चरित्रवान, साफ सुथरे वर्कर ही रख सकेगें।

08 ठेकेदार स्वयं या नौकर या अन्य व्यक्ति को सराय परिसर में व आवंटित कमरे में शराब या अन्य नशीली वस्तुओं का विक्रय अथवा सेवन नही करेगा।

09 ठेकेदार भोजन (दाल, सब्जी, रोटी व चावल आदि) के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ जैसे चाय, दुध, काफी, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन व कोल्ड ड्रिक्स आदि नही बेच सकेगा।

निर्धारित दर से अधिक दर पर खाना देने या गंदगी युक्त वातावरण व बासी सब्जी खाना देने पर शिकायत के सही पाये जाने पर प्रथम बार 500 रू., द्वितीय बार 1000 रू. व तृतीय बार 2000 रू. पेनल्टी सहायक आयुक्त द्वारा लगाई जा सकेगी।

10 ठेके का किसी शर्त का उल्लघंन करने पर बाद मौका सुनवाई आयुक्त/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग का निर्णय मान्य होगा।

11 निविदा की शर्तों के उल्लघंन पर आयुक्त/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग का निर्णय मान्य होगा।

12 ठेकेदार को स्वयं के खर्चें पर पृथक से अपना विद्युत मीटर (सब मीटर) लगवाना होगा तथा उपभोग के आधार पर मीटर का समस्त बिल स्वयं अपने स्तर पर भरना होगा।

13 ठेके की राशि समय पर जमा नही कराने पर 18% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जावेगा।

14 पानी जलदाय विभाग से आने पर उपलब्धता होने पर ले सकेगा। अन्य पानी बाजार से स्वयं का क्रय करना होगा।

15 भोजनशाला के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात्री 11 बजे तक रहेगा वर्कर ठेकेदार रात्री 11 बजे के बाद व सुबह 5 बजे से पहले सराय में नही आ–जा सकेंगे। रात्री में भोजनशाला में रह सकते है।

16 भोजनशाला में काम में आने वाला फर्नीचर व फिक्सर स्वयं को लगाने होगें।

17 भोजनशाला हेतु ठेकेदार को ठेका अवधि के लिये भोजनशाला हेतु वर्तमान भोजनशाला एवं जसवंत सराय के कमरा नं. 27 व 28 दिया जायेगा। ठेका समाप्त होते ही कमरें खाली करनें होगें एवं इसका कुल किराया प्रतिमाह 900 रू. व प्रस्तावित 1200 रू. ठेकेदार को अग्रीम देना होगा।

18 निविदा स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को होगा।

19 ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नही करेगें जिससे सराय के सामान्य संचालन में बाधा उत्पन्न हो या यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा हो।

20 अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाता के द्वारा प्रस्तावित दर ठेका समिति द्वारा उचित पाये जाने पर ठेका राशि की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी अन्यथा उसकी अमानत राशि रू. 2860/– जब्त की जाकर द्वितीय बोलीदाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा। ठेके की शेष राशि दिनांक 31.03.2018 तक एक मुश्त जमा करानी होगी। ठेकेदार चाहे तो शेष राशि तीन किश्तों में 18 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने हेतु आवेदन कर सकेगा इस पर सहायक आयुक्त के निर्णय के पश्चात् वह शेष राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित निम्नानुसार किश्तों में जमा करा सकेगा। किश्तों हेतु संबंधित ठेकेदार को उक्त तीन किश्तों के चैक अग्रिम प्रस्तुत करने होंगे।

प्रथम किश्त :–

स्वीकृत ठेका राशि का एक चौथाई राशि ठेका आरम्भ होने की तिथि अप्रेल 01, 2018 तक जमा करानी होगी।

द्वितीय किश्त :–

स्वीकृत ठेका राशि की एक चौथाई राशि मय ठेका आरम्भ होने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जून 30, 2018 तक जमा कराना होगा।

तृतीय किश्त :–

बकाया ठेका राशि की एक चौथाई राशि मय ठेका आरम्भ होने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित सितम्बर 30, 2018 तक जमा कराना होगा।

21 बाल श्रमिकों को कार्य पर नही लगाया जावें।

22 ठेकेदार भोजनशाला चलाने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के संबंधित कानूनों का पालना करेगा एवं संबंधित विभाग/अधिकारी से वान्छित स्वीकृति प्राप्त करेगा।

23 इस नीलामी संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइटं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

प्रस्तावित दर ....

अक्षरे रूपये .... निविदादाता के हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

ठेका Pay & use के आधार पर जसवंत सराय जोधपुर के शौचालय एव सफाई कार्य का ठेका

(अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019)

1. कार्य का नाम :– ठेका **Pay & use** के आधार पर जसवंत सराय जोधपुर के शौचालय एव सफाई कार्य का ठेका।
2. अमानत राशि :– 8420/– रूपये।
3. निविदा शुल्क :– 1000/– रूपये रसीद नं. .... दिनांक ....
4. अनुबन्ध अवधि :– 01.04.2018 से 31.03.2019
5. निविदा जारी करने की तिथि :– 07.02.2018 से ....
6. निविदा खोलने की तिथि :– 22.02.2018
7. निविदा जारी की गई :– मैं/श्री ....

....

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

ठेका Pay & use के आधार पर जसवंत सराय जोधपुर के शौचालय एव सफाई कार्य का ठेका की शर्ते (अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019)

जसवंत सराय में जनाना व मर्दाना लेट्रिनो में Pay & Use पद्धति आधार पर सफाई व्यवस्था की ठेके की शर्तेः–

––––,,,,––––

01 देवस्थान विभाग, जोधपुर के अधिनस्थ जसवन्त सरा य जोधपुर में भोजनशाला का ठेका वर्ष 2018–2019 के लिए रहेगा। जिसकी कुल अनुमानित राशि 4.21 लाख रूपये होगी।

02 जसवंत सराय सम्पूर्ण भवन में कमरों व बरामदों के अलावा खुली जमीन व छत की सफाई दिन में दो बार कर कचरा बाहर डालना।

03 अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाताओं के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जाएगी।

04 सप्ताह में एक बार सम्पूर्ण सराय की पानी, सर्फ व सोढा से सफाई कर फिनायल डालकर धोना।

05 जनाना व मर्दाना बाथरूम शौचालय पेशाब घर की नियमित तेजाब, फिनायल डालकर सफाई करना।

06 प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि 8420/– रूपये डी. डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के नाम देना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा मान्य नही होगी।

07 मंदिर श्री राजरणछोड़ जी मे निर्मित शौचालय, बाथरूम एवं जसवंत सराय की समस्त गट्टर लाईन एवं अवरूद्ध होने पर सफाई व नियमित नालियों व गट्टर की सफाई करना, जिसका अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

08 जसवंत सराय में पीछे ग्राउन्ड में बनी लेट्रिन व बाथरूम के प्रयोग पर निम्न दर निश्चित की गई है :–

	प्रति व्यक्ति दर	प्रस्तावित
1. पुरूष व स्त्री शौचालय के उपयोग पर	2 रू.	5 रू.
2. पुरूष व स्त्री स्नानघर के उपयोग पर	2 रू.	5 रू.

8 साल से कम उम्र के बच्चे, विकलांग, पागल व्यक्तियों से शुल्क नही लिया जावेगा।

06. प्रत्येक निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि 9220/– का बैंकर चैक/बैंक डॉफ्ट देना होगा। बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नही होगी।

07. अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाता के द्वारा प्रस्तावित दर ठेका समिति द्वारा उचित पाये जाने पर ठेका राशि की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी अन्यथा उसकी अमानत राशि रू. 9220/– जब्त की जाकर द्वितीय बोलीदाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा। ठेके की शेष राशि ठेका स्वीकृति की सूचना के पश्चात् तीन दिवस की भीतर एक मुश्त जमा करानी होगी। ठेकेदार चाहे तो शेष राशि तीन किश्तों में 18 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने हेतु आवेदन कर सकेगा इस पर सहायक आयुक्त के निर्णय के पश्चात् वह शेष राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित निम्नानुसार किश्तों में जमा करा सकेगा। किश्तों हेतु संबंधित ठेकेदार को उक्त तीन किश्तों के चैक अग्रिम प्रस्तुत करने होंगे।

प्रथम किश्त :–

स्वीकृत ठेका राशि का एक चौथाई राशि ठेका आरम्भ होने की तिथि अप्रेल 01, 2018 तक जमा करानी होगी।

द्वितीय किश्त :–

स्वीकृत ठेका राशि की एक चौथाई राशि मय ठेका आरम्भ होने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जून 30, 2018 तक जमा कराना होगा।

तृतीय किश्त :–

बकाया ठेका राशि की एक चौथाई राशि मय ठेका आरम्भ होने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित सितम्बर 30, 2018 तक जमा कराना होगा।

08. ठेके की शर्तों का उल्लघंन करने पर प्रथम बार 500 रू. जुर्माना, द्वितीय बार 1000 रू. जुर्माना व तृतीय बार 2000 रू. जुर्माना कर अन्तिम चेतावनी देते हुए ठेका तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा।
09. ठेकेदार जो भी कर्मचारी रखेगा उसकी फोटो सहित पूरा विवरण देगा तथा चरित्र दोष वाले को नहीं रखेगा।
10. सफाई कर्मचारी को फोटो पहचान का बैज लगाना अनिवार्य होगा।
11. किसी प्रकार का नशा करने पर मैनेजर कर्मचारी को तुरन्त सराय से बाहर कर देगा व वापिस अन्दर नहीं आने देगा।
12. सफाई में लापरवाही व कार्य नही करने पर सराय का कार्य वृजित होने पर प्रति दिन 500/– हर्जाना जॉच कर सहायक आयुक्त द्वारा निश्चित किया जावेगा।
13. सफाई का सामान झाडू, बास, तार, पोचा, फिनायल व तेजाब प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
14. ठेका वर्ष 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि का होगा
15. शौचालय में पानी व लाईट की व्यवस्था विभाग की होगी। बाल्टी व डिब्बा ठेकेदार देगा।
16. ठेकेदार बाल श्रमिक नही लगायेगा।
17. इस नीलामी संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइटं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

प्रस्तावित दर ....

अक्षरे रूपये ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

चाय– स्टाल व एस. टी. डी. बूथ संचालन का ठेका

जसवंत सराय, जोधपुर वर्ष 2018–2019

(अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019)

1. कार्य का नाम :– चाय स्टाल एवं एस.टी.डी. बूथ व फोटो स्टेट संचालन का ठेका।
2. अमानत राशि :– 6640/– रूपये।
3. निविदा शुल्क :– 1000/– रूपये रसीद नं. .... दिनांक ....
4. अनुबन्ध अवधि :– 01.04.2018 से 31.03.2019
5. निविदा जारी करने की तिथि :– 07.02.2018 से ....
6. निविदा खोलने की तिथि :– 22.02.2018
7. निविदा जारी की गई :– मैं/श्री ....

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर

–: चाय स्टाल एवं एस. टी. डी. बूथ व फोटो स्टेट संचालन की शर्ते :–

जसवंत सराय जोधपुर में यात्रियों की सुविधा के लिये चाय स्टाल एवं एस. टी. डी. बूथ संचालन का ठेका वर्ष 2018–19 के लिये शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. देवस्थान विभाग, जोधपुर के अधिनस्थ जसवन्त सरा य जोधपुर में भोजनशाला का ठेका वर्ष 2018–2019 के लिए रहेगा। जिसकी कुल अनुमानित राशि 3.32 लाख रूपये होगी।
2. यह ठेका अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के लिए वैद्य होगा तथा ठेके की अवधि घटाने व बढाने का अधिकार सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर एवं आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर को होगा।
3. अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाताओं के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जाएगी।
4. निविदा के साथ प्रत्येक निविदादाता को 6640/– रू. अमानत राशि के रूप में डी.डी सहायक आयुक्त जोधपुर के नाम जमा करानी होगी। बिना बयाना/धरोहर राशि के निविदा मान्य नही होगी। नकद रकम से जमा बयाना/अमानत राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नही होगा।
5. निविदा स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर को होगा।
6. अधिकतम प्रस्ताव वाले निविदादाता के द्वारा प्रस्तावित दर ठेका समिति द्वारा उचित पाये जाने पर ठेका राशि की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी अन्यथा उसकी अमानत राशि रू. 6640/– जब्त की जाकर द्वितीय बोलीदाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा। ठेके की शेष राशि ठेका स्वीकृति की सूचना के पश्चात् तीन दिवस की भीतर एक मुश्त जमा करानी होगी। ठेकेदार चाहे तो शेष राशि तीन किश्तों में 18 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने हेतु आवेदन कर सकेगा इस पर सहायक आयुक्त के निर्णय के पश्चात् वह शेष राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित निम्नानुसार किश्तों में जमा करा सकेगा। किश्तों हेतु संबंधित ठेकेदार को उक्त तीन किश्तों के चैक अग्रिम प्रस्तुत करने होंगे।

   प्रथम किश्त :–

   स्वीकृत ठेका राशि का एक चौथाई राशि ठेका आरम्भ होने की तिथि अप्रेल 01, 2018 तक जमा करानी होगी।

   द्वितीय किश्त :–

   स्वीकृत ठेका राशि की एक चौथाई राशि मय ठेका आरम्भ होने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जून 30, 2018 तक जमा कराना होगा।

   तृतीय किश्त :–

   बकाया ठेका राशि की एक चौथाई राशि मय ठेका आरम्भ होने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित सितम्बर 30, 2018 तक जमा कराना होगा।
7. ठेके की बकाया राशि (यदि कोई हो) को जमा नही कराने (निश्चित अवधि में) पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूली की जा सकेगी।
8. ठेकेदार को निम्न दरों पर यात्रियों के पेय पदार्थ व अन्य सामान सप्लाई करना होगा, जो कि अच्छी क्वालिटी का होगा :–

1. चाय सिंगल	– 5 रूपये
2. चाय डबल	– 7 रूपये
3. चाय स्पेशियल (सिंगल)	– 6 रूपये
4. चाय स्पेशियल (डबल)	– 8 रूपये

5. कॉफी सिंगल — 7 रूपये
6. कॉफी डबल — 8 रूपये
7. गर्म दूध 200 मि.ली. — 7 रूपये

इसके अलावा ठेकेदार नाश्ते हेतु खाद्य पदार्थ, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि स्वास्थय विभाग, नगर निगम एवं अन्य राजकीय नियमों के अनुसार निर्धारित लाईसेंस आदि की प्रक्रिया स्वयं के स्तर पर करते हुये ठेका अवधि तक प्रचलित बाजार दर पर बेच सकेगा एवं चाय स्टाल के लिये आवंटित कमरें में ठेका अवधि तक एस. टी. डी. बूथ का कनेक्शन स्वयं के नाम से एवं स्वयं के खर्चे से लेना होगा तथा इससे संबंधित सभी दायित्वों का वहन स्वयं को करना होगा। उक्त के अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा हेतु आवश्यक सामान तेल, कंघा एवं साबुन आदि प्रचलित बाजार पर पर बेच सकेगा व ताला निम्न दरों पर किराये दे सकेगा :—

	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1. छोटा ताला	2 रूपये प्रतिदिन	5 रूपये प्रतिदिन
2. बड़ा ताला	3 रूपये प्रतिदिन	5 रूपये प्रतिदिन

9. स्वीकृत निविदादाता को उपरोक्त दरें सराय के स्पष्टदर्शी भाग पर साईन बोर्ड लगाकर दर्शानी होगी। शर्तों के उल्लघंन पर निविदा रद्द करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
10. किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से अधिक दर पर सामान बेचा नही जा सकेगा तथा अधिक दर की शिकायत सही पाये जाने पर प्रथम बार 500/— रूपयें, द्वितीय बार 1000/— रूपयें एवं तृतीय बार 2000/— रूपयें पेनल्टी के रूप में लगाये जायेगे तथा ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
11. स्वीकृत निविदादाता द्वारा ही जसवंत सरायय में चाय की दुकान लगाई जायेगी किसी भी परिस्थिति में अन्य व्यक्ति द्वारा उपरोक्त सामान बेचने की अनुमति नही दी जायेगी।
12. स्वीकृत निविदादाता किसी भी परिस्थिति में ठेका अन्य व्यक्ति के नाम से स्थानान्तरित नही कर सकेगा तथा ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों के रखने पर उनकें नाम व पतें तथा परिवर्तन होने पर उसकी सूचना प्रबंधक, जसवंत सराय व सहायक आयुक्त कार्यालय को देगें।
13. स्वीकृत निविदादाता को विभाग द्वारा संधारित जसवंत सराय में कमरा नं. 26 में एस. टी.डी. बूथ चाय बनाने का सामान व अन्य आवश्यक सामान रखकर बेचान कर सकेगा। इसके अलावा अन्यत्र कही भी बेचान करने पर अतिरिक्त किराया वसूला जायेगा। उक्त सामान आदि रखने के लिए कमरे का मासिक किराया 450/— प्रतिमाह व प्रस्तावित दर 600/— प्रतिमाह रहेगा जो उसे प्रतिमाह अग्रिम जमा कराना होगा, अन्यथा 18 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज वसूल किया जायेगा।
14. ठेकेदार द्वारा चाय बनाने हेतु या अन्य उपयोग हेतु विभागीय बिजली से हीटर आदि का प्रयोग सर्वथा वर्जित रहेगा। अधिकतम केवल 60 बाट के दो बल्ब अथवा 2 ट्यूब लाईट एवं एक छत पंखे के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की विद्युत का उपयोग नही कर सकेगा। 165 लीटर के फ्रिज के उपयोग करने पर अलग से 150/— प्रतिमाह बिजली शुल्क देना होगा। 165 लीटर से अधिक का फ्रिज उपयोग में नही ले सकेगा एवं फ्रिजर का उपयोग नही कर सकेगा।

15. ठेके की अवधि समाप्त होने पर तुरन्त उसी दिन कमरा खाली कर सम्भलाना होगा अन्यथा विभाग बिना पूर्व सूचना के ताला तोड़कर सामग्री जब्त करने को स्वतंत्र रहेगा।
16. बेचान सामग्री के निरीक्षण का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
17. घटिया सामग्री पाएँ जाने पर ठेके को रद्द किया जा सकता है।
18. स्वीकृति निविदादाता को निविदा स्वीकृति के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र देना होगा।
19. ठेके की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वाद देने व मौका सुनवाई सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर के समक्ष होगी।
20. सराय परिसर में ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग करने की इजाजत किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जावेगी। शर्त का उल्लंघन होने पर ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. ठेके में किसी प्रकार की शर्त अथवा सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
22. ठेका स्वीकृति के एक माह में बकाया ठेका राशि हेतु दो जमानती जिनका स्थाई पता मय राशन कार्ड की प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर संलग्न करना होगा एवं जमानतियों को अपनी सम्पति जो कम से कम बकाया ठेका राशि के बराबर हो का विवरण नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
23. प्रमाणित पतें के लिये राशन कार्ड की प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर पता संलग्न करना होगा।
24. स्वीकृति निविदा के समयावधि में राज्य सरकार की आवश्यकता होने पर व निविदादाता द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
25. निविदादाता में देवस्थान विभाग की किसी प्रकार की राशि बकाया होगी तो वह निविदा मान्य नही होगी।
26. ठेकेदार स्वंय नौकर या व्यक्ति सराय परिसर (आवंटित कमरा स्थान) में शराब नही पियेगा व न ही पिलायेगा। तम्बाकू या इससे बनी सामग्री व नशीली चीजों का बेचान नही करेगा।
27. इस नीलामी संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइटं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

प्रस्तावित राशि ....

अक्षरे रूपये ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
जोधपुर

C:\Users\Dell\Desktop\Sarai Revenue Tender copy 18-19.doc

वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

क्रमांक :–लेखा–/बोली/वि.गृ/2018/203 दिनांक :– 29.01.2018

ई–बोली सूचना वर्ष 2017–18

राजस्थान के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यामान नवनिर्मित धर्मशालाओ/विश्रांतिग्रहो को 5 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मो/कम्पनी से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत बोली दरें आमंत्रित की जाती हैं। :–

क्र. सं.	धर्मशाला/विश्रांतिग्रह का स्थान व अन्य विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोली शुल्क (रूपये में)	बोली प्रतिभूति ड्राफ्ट(रूपयों में)	ई–बोली प्रक्रिया शुल्क रू. में
1	2	3	4	5	6
1	देवदर्शन विश्रामगृह जाडेचीजी राजभवन, रेल्वे स्टेशन के पास जोधपुर,(8620 वर्ग फुट कवर्ड एरिया, वी.आई.पी. रूम संख्या 02, साधारण रूम संख्या 16, डॉरमेन्टरी 16 बैड की।	15,40,000 वार्षिक	1500	30800	500

बिड संख्या UBN NO.	
बोली दस्तावेज बिक्री की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि	दिनांक 21.02.2018 समय 11.00 बजे से दिनांक 08.03.2018 समय 02.00 बजे तक। बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website)
प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज ई–प्रोक साईट पर ऑनलाईन जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 21.02.2018 समय 11.00 बजे से दिनांक 08.03.2018 समय 02.00 बजे तक
प्री.बेड मीटिंग की दिनांक समय व स्थान	दिनांक 05.03.2018 समय 11.00 बजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान जोधपुर
बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग फीस के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 08.03.2018 एवं समय 03.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय व स्थान	दिनांक 08.03.2018 समय 4.00 कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान जोधपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	दिनांक 09.03.2018 समय 05.00 बजे तक

1. सम्पदा विवरण निम्नानुसार हैं एवं विभाग द्वारा निर्धारित किराया निम्नानुसार हैं:–

धर्मशाला का एरिया	निर्मित एरिया			विभिन्न श्रेणीयो हेतु विभाग द्वारा निर्धारित किराया प्रति रूम/बेड/प्रतिदिन		
	वी.आई.पी	साधारण	डोरमेट्री	वी.आई.पी	साधारण	डोरमेट्री
8620 sqft	(1) 11x13 with dress 4’6 x 5’ & toilet 6’x5’ (2) 18’10x13 with dress 7’6 x 6’2 & toilet 7’6x6’6	11x13 sqft x16 Rooms	21’8x22’3x2 lobby for 16 beds	800/– प्रतिदिन	400/– प्रतिदिन	100/– प्रतिदिन प्रति बेड

Note:

(क) VIP रूम से तात्पर्य उस कक्ष से है जिसमे ए.सी. सुविधा के साथ अटेच्ड टॉयलेट व टीवी सुविधा तथा बेहतर शयन व्यवस्था का होना आवश्यक होगा। किसी कक्ष को इस रूप में घोषित करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारी अथवा समिति द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होगा।

(ख) बोलीदाता/लीजधारक उक्त निर्धारित किराये में सीजन के हिसाब से स्वयं के स्तर पर दरों में कटौती कर सकने हेतु अधिकृत होगा। उदाहरणार्थ वह विशेषतः ऑफ सीजन में कम दर रखकर ऑक्यूपेंसी बढा सकता है।

(ग) देवस्थान विभाग यदि आवश्यक हुआ तो प्रति वर्ष कमरों की दरों का पुनर्निर्धारण कर सकेगा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

शर्तेः—भाग अ

1. यहनीलामी/बोली वेबसाइटं **www. sppp.rajasthan.gov.in**तथाविभागीय वेबसाइट **www. devsthan.rajasthan.gov.in** पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। नीलामीमें भाग लेने हेतु वेबसाइट **www. eproc.rajasthan.gov.in** परद्वि—भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक फारमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं निलामी दर प्रस्तावित किये जा सकेगें।
2. नीलामी दर वेबसाइट **http:// www. eproc.rajasthan.gov.in**पर निर्धारित दिनांक एवं समय तकडाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है एवं इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट **http:// www. eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड/लिफाफा पर निर्धारित दिनांक एवं समयतक इस कार्यालय में डाउनलोड की जावेगी। तकनीकी बिड के मुल्यांकन में योग्य पाये गये व्यवसायियों /फर्मों की वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी।
3. उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गईबोली शुल्क व धरोहर राशि केअलग—अलग डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभागजोधपुरके नामजोधपुर मेंभुगतान योग्य बनवानी होगी । क्रम संख्या 6 मे अंकित प्रकिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। उक्त तीनों डी.डी. की प्रति आनलाईन अपलोड करनी होगी। उपरान्तबोलीदाता द्वारा बोली शुल्क ,धरोहर राशि व प्रक्रिया शुल्कके मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराने आवश्यक है। अन्यथा सम्बन्धित बोलीदाताके ऑनलाईन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जावेगा।
4. किसी भी बोली/बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
5. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि जब्ति/शास्ति एवं अगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. ई—बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश।

   (अ) इस कार्य में रूचि रखने वाले एव निलामी में भाग लेने के इच्छुक पंजीकृत फर्मों/कम्पनी को इन्टरनेट साईट **http:// www. eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक बोली में लॉग—ईन/साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी.सी.ए. (**CCA**) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

(ब) बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट ˙ (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि)में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथाबोली अमान्य होगी। कोई भी निलामी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार नही होगा।

(स) इलैक्ट्रोनिक बोली प्रपत्र को अपलोड कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की बोली प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन संलग्न कर दी गई है। यथा शुल्क की फोटोप्रतियां, पहचान पत्र, पेन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जी.एस. टी. प्रमाण पत्र, गत तीन वर्ष का टर्नऑवर आदि।

(द)निर्धारित दिनांक तककोई बोलीदाताबोलीदस्तावेज इलैक्ट्रोनिकली अपलोड कराने में किसी कारण से असफल/देरी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार विभाग नही होगा।

(र) बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन किया जावे।

7. शर्तयुक्त बोली/निलामी दर मान्य नही होगी।
8. बोली की अन्य शर्ते/विवरण की जानकारी किसी कार्य दिवस को कार्यालय मे प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय में पर निर्धारित दिनांक एवं समय को पूर्व बोली बैठक**(Pre-bid meeting)** रखी जाएगी जिसमें इच्छुक बोलीदाता सम्बन्धित जानकारी के लिए आमंत्रित है।
9. सफलतम बोलीदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (**Performance security**) बोली राशि का 5 प्रतिशत जमा करा अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसमें बोली प्रतिभूति का समायोजन किया जा सकेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति **eGRAS** बैंक ड्राफ्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक गारंटी, फिक्स डिपोजिट के रूप में भी दी जा सकती है।
10. अधिकतम बोली/सर्वाधित लाभप्रद बोली को स्वीकृत किया जायेगा।

शर्तेभाग ब–

1. बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति :–बोलीदाता आपराधिक पृष्ठ भूमि का नही होना चाहिये। बोलीदाता को बोली के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ–साथ आवश्यक रूप से अपना आधार नं., पैन नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी देना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप मे प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. बोली मे भाग लेने के लिये बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक औसत टर्न ओवर उस सम्पदा कीआरक्षित मूल्य के दोगुने के बराबर होना आवश्यक होगा।यदि किसी कारण से बोली लगाने हेतु कोई बोलीदाता नही आता है, तो यह राशि घटाई जा सकेगी।विभाग की महत्वपूर्ण एवं किमती परिसम्पत्तियों को लम्बी अवधि हेतु लीज पर दिया जाना है अतः अनुमोदित 5 वर्ष के लिए लीज की राशि की सुरक्षित वसूली के क्रम में बोलीदाता से पिछले तीन वर्ष (वर्ष 2014–15, 15–16, 16–17)की आय का रिटर्न एवं सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां तथा नियमानुसार गारंटी लिया जाना होगा।होटल/विश्राम गृह/धर्मशाला संचालन करने का पिछले 3 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है, जिसके दस्तावेज के रूप में पिछले 3 वर्ष (वर्ष 2014–15, 15–16, 16–17) की सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट जिसमें इस व्यवसाय से संबंधित आय का उल्लेख हो सलंग्न करना होगा।
3. यदि कोई साझेदारी फर्म बोली लगाती है तो बोलीदाता फर्म को बोली लगाते समय रजिस्ट्रर्ड साझेदारी संलेख प्रस्तुत/अपलोड करनी होगी, अन्यथा बोली मे भाग नही ले सकती।
4. संपदा की बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित बोली प्रतिभूति जमा करानी होगा। इस हेतु बोली से पूर्व नियमानुसार अनुमोदित राशि का 2 प्रतिशत धरोहर राशि वसूल की जायेगी। बोली हेतु असफल रहने पर नियमानुसार राशि वापस की जाएगी।
5. जिस व्यक्ति/साझेदारी फर्म के नाम अधिकतम बोली प्रस्ताव स्वीकृत होगा, उसको 3 माह की अग्रिम राशि उसी समयजमा करवानी होगी, अन्यथा बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।
6. अधिकतम बोलीदाता के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को प्रेषित किये जाएगे। आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से स्वीकृति प्राप्त होने तक बोलीदाता को इन्तजार करना होगा। यदियह स्वीकृति प्राप्त नही होती, तो बोलीदाता अपनी बोली प्रतिभूति व अग्रिम जमा राशि बिना ब्याज के वापस प्राप्त कर सकता हैं। इस अवधि के इन्तजार नही किये जाने पर या संपदा की जरूरत नही होने पर बोलीदाता संपदा किराये पर नही लेना चाहे तो बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अग्रिम राशि मय बोली प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा। जिसमे बोलीदाता किसी भी प्रकार की आपत्ति नही कर सकेगा।
7. अधिकतम बोलीदाता के नाम सपंदा निर्धारित राशि पर देने की स्वीकृति होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर संपदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो उसके द्वारा सूचित मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी. पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र संपदा पर चस्पा कर दी जाएगी तथ विभागीय वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा, फिर भी पत्र में वर्णित अवधि में संपदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि वह संपदा किराये पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गयी तीन माह की अग्रिम राशि जब्त करके संपदा पुनः नीलाम की जाएगी।
8. संपदा लीज पर देने की सक्षम की स्वीकृति की सूचना अधिकतम बोलीदाता को मिलने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर उसे अनुबंध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा तथा निर्धारित अवधि मे अनुबंध पत्र निष्पादित नही करने पर उसका अधिकतम बोलीदाता के रूप मे हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी बोली प्रतिभूति मय अग्रिम जमा राशि जब्त हो जावेगी एवं विभाग पुनः नयी

बोली कर सकेगा अथवा संपदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप मे कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही संपदा का कब्जा सुपर्द किया जावेगा। अनुबंध पत्र स्वंय को खर्चे से ही पंजीयन कराना होगा।

9. अनुबंधकर्ता को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित आयकर राशि जीएसटी आदि, का भुगतान स्वयं करना होगा एवं जी.एस.टी.आई.एन. नम्बर की प्रति सलंग्न करनी होगी। इस प्रकृति के कार्यों के सम्बन्धित अन्य कर आदि का समस्त उत्तरदायित्व स्वंय का होगा।
10. अनुबंधकर्ता को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते मे ऑनलाईन अथवा चैक रूप मे अथवा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जाने पर मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा सहायक आयुक्त देवस्थान के कार्यालय मे अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
11. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा सम्बन्धित बिल का भुगतान स्वयं ही करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे बकाया राशि वसूली के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
12. यदि अनुबंधकर्ता निर्धारित समय पर संपदा रिक्त नही करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते हुए उसके विरूद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
13. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात् भी अगर नगर परिषद या राज्य सरकार द्वारा नियमों के प्रावधानो के कारण आपत्ति व्यक्त की गई तो इस संबंध मे सम्पदा संबंधी प्रावधानो एवं नियमो का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. अनुबन्ध पत्र मे वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर लीजधारक के विरूद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जा सकेगीं।
15. लीज की अवधि मे लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे लीज का अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
16. यदि लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व रिक्त/सुपुर्द करना चाहेगा तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वहबोली प्रक्रिया संबंधी व्यय कोक्षतिपूर्ति स्वरूप जमा कराते हुए खाली करने की न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। लीजधारक को यह सुविधा 1 वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।
17. लीज राशि का देय होनाः–प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम रूप देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
18. लीज राशि में वृद्विः– एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो लीज प्रारम्भ से प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्वि की जायेगी।
19. विश्राम हेतु आने व रूकने वाले के लिए प्रक्रियाः–अनुबंधकर्ता को प्रत्येक बुंकिंग विभाग द्वारा दिए गए पोर्टल पर ऑनलाईन रूप दर्ज करनी होगी। यदि किसी कारणवश किसी स्थानविशेष पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है तो विभागीय अनुमति से इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। अनुबंधकर्ता

अपनी बुकिंग के लिए किसी कॉमर्शियल पोर्टल का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगा। इस संबंध में ऐसे पोर्टल से होने वाले किसी भी क्षति के लिए केवल अनुबंधकर्ता ही उत्तरदायी होगा।

20. धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधानः—

(1) संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी एवं लीज समाप्ति पश्चात् जिस स्थिति में सुपुर्द की गयी थी, उसी स्थिति में विभाग को वापस सुपुर्द करनी होगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को सभंलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव—ऑफ किया जा सकेगा।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।

(3) संपदा में अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमति के नहीं करायेगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी, एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर अनुबंधकर्ता स्वंय के व्यय पर करायेगा। अनुबंधकर्ता को सम्पदा की समुचित साफ—सफाई के साथ—साथ परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रूफ वाटर/रेन वाटरहार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।

21. यदि संपदा के क्षेत्र मे किसी राजकीय प्रावधान मे परिवर्तन के कारण लीज अवधि मे संचालन मे प्रतिबंध लागू होता है तो देवस्थान विभाग द्वारा लीज अवधि मे उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और यदि लीजधारक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो वह बिना ब्याज के वापस दी जाएगी।

22. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनो की कार्यवाही की जा सकेगी।

23. बोलीदाता को संबंधित विभाग से वांछित लाईसेंस स्वंय प्राप्त करना होगा तथा स्वागत कक्ष में उसे प्रदर्शित करना होगा।

24. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ राहत, चुनाव महामारी आदि की दशा मे परिसर संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहीत किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नही होगा परन्तु अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष/देवस्थान विभाग प्राप्त नही करेगा।

25. अनुबंध पत्र के निष्पादन मे देय स्टॉम्प—रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व लीजधारक का होगा।

26. अनुबंधकर्ता सम्पदा मे किसी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन अथवा यात्रियो के सुविधार्थ साज सज्जा हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेगा।

27. देवस्थान विभाग के कर्मचारियो/अधिकारियो या उनके द्वारा अनुमोदित राजकीय कर्मचारियो/अधिकारियो या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियो के लिए प्रत्येक धर्मशाला मे 50 प्रतिशत की दर पर प्राथमिकता से दिए जाने की व्यवस्था होगी। पूर्व सूचना होने पर उनके लिये दो कमरे आरक्षित रखे जायेगें।

28. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर रूकने वाले यात्रियो के लिये ट्रेवल एंड गाईड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वतंत्र होगा, किन्तु यह किसी रूप में रूकने वाले के लिए बाध्यकारी नही होगा। साथ ही इसकी दरें भी यहां पर प्रदर्शित होगी।

29. लीज अवधि को आगे नही बढाया जायेगा। यदि अग्रिम निलामी बोली प्रक्रिया पूर्ण नही हो पाती है तो देय राशि पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि करने की शर्त पर लीज राशि मे 5 वर्ष बाद 25 प्रतिशत वृद्धि की आपसी सहमति से अवधि बढायी जा सकेगी।

30. अनुबंधकर्ता को सम्पदा के साईनबोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर देवदर्शन विश्रामगृह जाडेचीजी राजभवन देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की सम्पदा अंकित करना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा सम्पदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।

31. बोलीदाता द्वारा बोली अपलोड किये जाने से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में धर्मशाला का निरीक्षण, एवं कमरों का विवरण आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।विभाग द्वारा सम्पदा जैसी भी स्थिति मे है अनुबंधकर्ता को सुपुर्द की जायेगी, विभाग किसी प्रकार की मरम्मत एवं परिवर्तन आदि के लिये उत्तरदायी नही होगा।

32. सम्पदा का नक्शा दो पृष्ठो मे संलग्न अपलोडेड हैं एवं उसके अनुसार सम्पदा विवरण निम्नानुसार हैं एवं विभाग द्वारा निर्धारित किराया निम्नानुसार हैः—

धर्मशाला का एरिया	निर्मित एरिया			विभिन्न श्रेणीयो हेतु विभाग द्वारा निर्धारित किराया प्रति रूम/बेड/प्रतिदिन			रिजर्व प्राईस	धरोहर राशि
	वी.आई.पी	साधारण	डोरमेट्री	वी.आई.पी	साधारण	डोरमेट्री		
8620 sqft	(1) 11x13 with dress 4'6 x 5' & toilet 6'x5' (2) 18'10x13 with dress 7'6 x 6'2 & toilet 7'6x6'6	11x13 sqft x16 Rooms	21'8x22'3x2 lobby for 16 beds	800/— प्रतिदिन	400/— प्रतिदिन	100/— प्रतिदिन प्रति बेड	1540000/—	30800/—

33. सम्पदा के पास स्थित पार्किंग का पृथक से ठेका निलामी की जायेगी।

34. अनुबंधकर्ता को सम्पदा मे निम्न चीजे रखनी आवश्यक होगी :—

1. स्वागत पटल मय उपयुक्त सुविधा एवं आवश्यक उपयुक्त मानव संसाधन।
2. शिकायत/फीडबैक पुस्तिका व पेटीका
3. कमरे, भोजन व अन्य सुविधा सामग्री की दर प्रमुखता से दृश्य रूप में।

35. अनुबंधकर्ता द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप मे कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती हैं, तो विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर रख सकेगा। अतिरिक्त बेड के लिये कमरे के किराये का आधा किराया वसूल किया जा सकेगा। डोरमेट्री हेतु अतिरिक्त बेड का कोई प्रावधान नही होगा।

36. प्रत्येक रूकने वाले यात्री को निम्नलिखित सुविधाऐ बिना किसी अतिरिक्त लागत के अनुबंधकर्ता द्वारा यात्री को उपलब्ध करानी होगीः—

1. प्रति बेड, 1 धुली हुई चादर व 1 बेडसीट
2. ब्लांकेट/रजाई
3. एक बडा तोलिया व दो छोटे तोलिये
4. बाथरूम सॉप
5. बाथरूम के लिये आवश्यक बाल्टी, मग व पायदान

37. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर धर्मशाला मे ठहरने वालो के लिये भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा।

38. अनुबंधकर्ता एवं अन्य कोई भी व्यक्ति धार्मिक मर्यादाओ के विरूध किसी प्रकार का व्यवसाय जैसे मास, मदीरा, अण्डा का व्यवसाय नही करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा।

39. अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर मे किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नही देगा। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

40. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा धर्मशाला मे रख सकेगा तथा उसको अनुबंधकर्ता को बिना बाधा के सम्पदा मे सदृश्य रूप मे लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा मे अपना दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता हैं

जिसकी राशि देवस्थान विभाग की होगी जिसके लिये विभागअपनी अलग प्रक्रियां निर्धारित कर सकता है।

41. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार की हानि नही पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति मे यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता अनुबन्धित (बाध्य) होगा।
42. राज्य सरकार या नगर पालिका नगर विकास प्रन्यास द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता को लीज राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा। नीलामी के उपरान्त किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध मे देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता के मध्य नियमानुसार कोई समझौता किया जा सकेगा।
43. संपदा मे बोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियो को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नही रखेगा। यदि अनुबंधकर्ता ने शर्तो की अवहेलना की तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।
44. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर आवश्कतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीन बोली की शर्तें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से जोड/हटा सकते हैं।
45. लीज अनुबंध–पत्रः–निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत लीज डीड अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करने हेतु वांछनीय अनुबंध का प्रारूप प्रपत्र–2 संलग्न है।
46. धर्मशाला का नामकरणः–विभाग द्वारा संचालित धर्मशाला का नामकरण होटल देवदर्शन या देवदर्शन विश्राम गृह का नाम दिया जाए। इसके अतिरिक्त कोई विशेष नामकरण नही दिया जाए।
47. अनुबंध में वर्णित समस्त शर्ते दोनों पक्षो पर लागू रहेगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

प्रपत्र–2

देवस्थान विभाग की नवनिर्मित धर्मशालाओं/विश्रामगृहों के संचालन हेतु
अनुबन्ध–पत्र

यह लीज अनुबंध आज दिनांक ....को राजस्थान सरकार की ओर से सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर (जिसे आगे चलकर इस लीजडीड में प्रथम पक्षकार मालिक के नाम से संबोधित किया गया है)

बहक

नाम–
पिता श्री –
जाति–
जन्म तिथि –
उम्र————–वर्ष
पैन नम्बर –
आधार नम्बर –
मोबाइल नं. –
ई–मेल आई डी –
निवासी–
तहसील–
जिला–

(पार्टनरशिप फर्म द्वारा बोली लगाने की स्थिति में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड –
संस्था का टिन नम्बर (आवश्यक होने पर)–

(जिसे आगे चल कर इस अनुबन्ध पत्र में द्वितीय पक्षकार/अनुबंधकर्ता लीजधारक के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्न प्रकार से निष्पादित किया जाता है, जिसमें लीज एवं अनुबंध की शर्तें निम्नप्रकार हैं, जिसके लिए दोनों पाबंद रहेंगेः–ः–

1. यह कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ एवं नियंत्रित निम्न सम्पदा केबोली आधारित संचालन के लिए,यह अनुबंध द्वितीय पक्षकार (लीजधारक) एवं प्रथम पक्षकार (मालिक) के मध्य किया जाता है, जिसका विवरण निम्नप्रकार हैः–

1.	धर्मशाला नाम	:	
2.	स्थान	:	
3.	मंदिर, जिसके अन्तर्गत धर्मशाला है	:	
4.	तहसील	:	
5.	जिला	:	
6.	धर्मशाला की चतुर्सीमा (पड़ोस) निम्न प्रकार है	:	
	पूर्व	:	
	पश्चिम	:	
	उत्तर	:	
	दक्षिण	:	
7.	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल फ्लोर एरिया	:	————वर्ग फीट
8.	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल बिल्ट अप एरिया	:	————वर्ग फीट
9.	निर्मित भाग का विवरण	:	
10.	(1) कुल मंजिलें भू–तल सहित :	:	
	(2) कुल कमरे :	:	
	(3) अन्य विवरण :	:	
11.	संचालन हेतु संभलाई गई अन्य सामग्री, संख्या सहित	:	

(स्पष्टता के लिए मानचित्र संलग्न है जिसमें प्रत्येक कमरे, बरामदे, चौक आदि का साईज सहित स्पष्ट वर्णन अंकित है, में दर्शित किया गया है, एवं जो इस अनुबन्ध पत्र का अभिन्न अंग हैं।)

2. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा द्वितीय पक्ष अनुबंधकर्ता लीजधारक को देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दरों पर यात्रियों को अस्थाई रूप से ठहरने के लिए उपर्युक्त वर्णित धर्मशाला निम्नानुसार अवधि एवं दर पर संचालन हेतु दी जा रही हैः–

(1) संचालन अवधि : **5 वर्ष**, अनुबन्ध की तिथि से

(2) वार्षिक देय राशि –..

(3) त्रैमासिक देय राशि–..

(4) अधिकतम किराया राशि रू. में–

(I) साधारण रूम ....

(II) डोरमेट्री..

(III) वी.आई.पी. रूम ....

Note:

(क) VIP रूम से तात्पर्य उस कक्ष में ए.सी. सुविधा के साथ अटेच्ड टॉयलेट व टीवी सुविधा तथा बेहतर शयन व्यवस्था का होना आवश्यक होगा। किसी कक्ष को इस रूप में घोषित करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारी अथवा समिति द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होगा।

(ख) बोलीदाता/अनुबंधकर्ता लीजधारक उक्त निर्धारित किराये में सीजन के हिसाब से स्वयं के स्तर पर दरों में कटौती कर सकने हेतु अधिकृत होगा। उदाहरणार्थ वह विशेषतः ऑफ सीजन में कम दर रखकर ऑक्यूपेंसी बढा सकता है।

(ग) देवस्थान विभाग प्रति वर्ष में कमरों की दरों का पुनर्निर्धारण कर सकेगा।

(घ) अनुबन्ध में दी गई सम्पदा के रिक्त स्थान अथवा परिसर का प्रयोग विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु अनुबन्धदाता स्वयं द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर कर सकेगा, जिसके लिए वह यथावश्यक नगरीय निकाय या पंचायती राज के नियमों की पालना करेगा।

3. **लीज राशि का देय होना** :–प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप से देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

4. **लीज राशि में वृद्वि** :– एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नहीं बढाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है तो, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम ***(Rajasthan Rent Control Act***) के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार प्रति 1 वर्ष में 5 प्रतिशत किराये में वृद्धि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए देय राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि करने की शर्त लागू होगी।

5. **विश्राम हेतु आने व रुकने वाले के लिए प्रक्रिया** :–अनुबंधकर्ता लीजधारक को प्रत्येक बुकिंग विभाग द्वारा दिए गए पोर्टल पर ऑनलाईन रूप में दर्ज करनी होगी। यदि किसी कारणवश किसी स्थानविशेष पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है तो विभागीय अनुमति से इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक अपनी बुकिंग के लिए किसी कॉमर्शियल पोर्टल का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगा। इस संबंध में ऐसे पोर्टल से होने वाली किसी भी क्षति के लिए केवल अनुबंधकर्ता ही उत्तरदायी होगा। देवस्थान विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों या उनके द्वारा अनुमोदित राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए प्रत्येक धर्मशाला में 50 प्रतिशत की दर पर प्राथमिकता से दिए जाने की व्यवस्था करनी होगी। पूर्व सूचना होने पर उनके लिये प्रथम चार धर्मशालाओं में दो–दो कमरे एव गंगोत्री व धराली में एक–एक कमरा आरक्षित रहेगा। अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर रुकने वाले यात्रियों के लिए ट्रेवल एण्ड गाइड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वतंत्र होगा, किन्तु यह किसी भी रूप में रुकने वाले के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। साथ ही इसकी दरें भी वहां पर प्रदर्शित होंगी।

6. **धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधानः–**

1. संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी भी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को संभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव–ऑफ किया जा सकेगा।

2. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर **'देवदर्शन विश्राम गृह, ...(नगर) देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की संपदा'** लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।

3. संपदा में अनुबंधकर्ता लीजधारक किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमति के नहीं करायेगा। संपदा की रंग–रोगन, सफेदी एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के व्यय पर करायेगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक को सम्पदा की समुचित साफ–सफाई के अतिरिक्त, परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रूफ वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।

4. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा में निम्न चीजें रखनी आवश्यक होंगी–
   - स्वागत पटल (Reception Counter) उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
   - शिकायत/फीडबैक पुस्तिका
   - शिकायत/फीडबैक पेटिका
   - कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रूप में)

5. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती है तो, वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर दर न रखकर, विभाग से अनुमोदित दर पर ही प्रदान की जायेगी। एक्सट्रा बेड के लिए कमरे के किराए का आधा वसूल किया जा सकेगा। डोरमेटरी हेतु एक्सट्रा बेड का कोई प्रावधान नहीं होगा।

6. प्रत्येक रुकने वाले यात्री को निम्न रूप में सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगीः–
   - प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
   - ब्लेंकेट या रजाई
   - एक बडा तौलिया और दो छोटे तौलिए
   - बाथरूम सोप
   - बाथरूम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट–रग)
   - उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क सामग्री प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

7. अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपदा में धार्मिक मर्यादाओं के विरूद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे, मांस, मदिरा, अण्डा आदि का व्यवसाय नहीं करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं दिया जायेगा।

8. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा सम्पदा में रख सकेगा जिसे अनुबंधकर्ता लीजधारक को बिना बाधा के सदृश्य रूप में लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता है, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। बोली

9. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता लीजधारक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार या आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो, उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता लीजधारक अनुबन्धित (बाध्य) होगा।

10. राज्य सरकार या नगर पालिका नगर विकास प्रन्यास द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता लीजधारक को लीज राशि के अतिरिक्त उक्त राशि का स्वयं भुगतान करना होगा। बोली

के उपरांत किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता लीजधारक के मध्य नियमानुसार कोई समझौता किया जा सकेगा।

11. संपदा में अनुबंध के उपरान्त लीज धारक किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नहीं रखेगा। यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक ने शर्तों की अवहेलना की, तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी।

12. अनुबंधकर्ता लीजधारक को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित कर राशि (जीएसटी आदि) का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी त्रुटि का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।

13. अनुबंधकर्ता लीजधारक को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक के रूप में अथवा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जाने पर नकद राशि के रूप में मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के यहाँ अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।

14. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा इनके बिल का भी स्वयं ही भरण करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

15. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक/बोलीदाता निर्धारित समय पर संपदा खाली नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते में उसके विरूद्ध विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

16. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान में परिवर्तन के कारण बोली अवधि में, संचालन में प्रतिबंध लागू होता है तो, देवस्थान विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और यदि लीजधारक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो, वह बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

17. विभाग की अनुमति के पश्चात भी यदि नगर परिषद या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

18. अनुबन्ध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का लीज धारक द्वारा उल्लघंन करने पर लीजधारक के विरूद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा **राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1964** के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।

19. लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में लीज अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

20. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह विज्ञप्ति संबंधी व्यय का वहन करने की राशि जमा कराते हुए खाली करने के न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना देवस्थान विभाग के संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा 1 वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

21. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबन्ध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही साथ–साथ की जा सकेगी।

22. आकस्मिक कार्यों यथा बाढ़ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहीत किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया, उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष (मालिक) द्वारा प्राप्त नहीं की जावेगी।

23. इस अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प–रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व लीजधारक का होगा।

24. लीज अनुबन्ध पत्र के पंजीयन हेतु संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान को अधिकृत किया जाता है।

25. आयुक्त, देवस्थान विभाग आवश्यकतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीनलीज अनुबन्ध की शर्तें राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/अनुमोदन से जोड,हटा या परिवर्तन कर सकेंगे।

26. अनुबंध की तारीख से 5 वर्ष पश्चात् अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और भवन का कब्जा 5 वर्ष पूर्ण होते ही विभाग को सौंपना होगा।

27. बोली की समस्त शर्तें अनुबंध का भाग होगी एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

लीजधारक उक्त वर्णित शर्तों में निहित प्रावधानों की पालना के लिए आबद्ध और वचनबद्ध है। उक्तानुसार यह अनुबन्ध पत्र लीजधारक एवं मालिक ने स्वस्थचित्त, स्थिर बुद्धि से होश हवास में लिखा गया है, जो अभिलेख के रूप में मान्य एवं उभय पक्ष को बाध्यकारी होगा।

(हस्ताक्षर राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग कीओर से अधिकृत अधिकारी)
प्रथम पक्षकार (मालिक)

हस्ताक्षर अनुबन्धकर्ता
(द्वितीय पक्षकार लीज धारक)

(1) साक्षी :(1) साक्षी :
(2) साक्षी :
(2) साक्षी :
स्थानःस्थानः
दिनांक :दिनांक :

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर
बिड क्रमांक–e-बोली सूचना संख्याः 1/स.आ.देव/खुली बोली/2017–18
तकनीकी बिड प्रपत्र

1	बिड आमंत्रित करने वाले विभाग का नाम	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर
2	बिड का सन्दर्भ**UBN (Unique bid number)**	
3	कार्य का विवरण	लीज आधार पर धर्मशाला का संचालन
4	लीज की अनुमानित राशि	15,40,000/–
5	बोलीदाता का विवरण नाम मय पता... टेलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेक्स न.. मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आइडी .... वैब साईट...	
6	बिड का प्रकार **Single-Stage: two part (cover) open competitive e-bid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in**	
6	बिड प्रपत्र की लागत	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के पक्ष में कैश रसीद न./ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं......... ....दिनांक...............................राशि रूपये......... ....बैक ब्रांच का नाम... (कैश रसीद /ईग्रास चालान /डी.डी. /बी.सी. मूल ही सलग्न करना होगा)
7	बिड प्रतिभूति	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के पक्ष में कैश रसीद न./ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं......... ....दिनांक..............................राशि रूपये......... ....बैक ब्रांच का नाम... (कैश रसीद /ईग्रास चालान /डी.डी. /बी.सी. मूल ही सलग्न करना होगा)
8	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित विवरण **Constitution of the firm whether/proprietorship/ partnership/company**	आस्थिति(कम्पनी/संस्था/फर्म/कार्पोरेट बॉडी/वैयक्तिक रूप से पंजीकृत आदि)
	(a)In case of proprietorship firm:-	नाम... पिता का नाम... पता... पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक........................ पंजियन अधिकारी का पता...............................

		पंजियन की वैद्यता..
	(b)In case of partnership firm	नाम... पिता का नाम... पता.. **Of all the partners (Note-Enclose the Registration certificate of firms of its attested copy/ photocopy of partnership Deed)**
	(c) In case of company (Note-Enclose the Registration certificate of company)	**Name & Address of the all directors of the company** पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक......................... पंजियन अधिकारी का पता............................... पंजियन की वैद्यता..
9	प्रोसेसिंग फीस	**Managing director RISL Payble at jaipur** के नाम राशि 500/–
10	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक	
11	आयकर खाता संख्या एवं पेन नं.	
12	अनुभव– पिछले तीन वर्षो में होटल/विश्रान्ति गृह/धर्मशाला संचालन से संबंधित टर्नओवर दर्शाने वाली आयकर विवरणीमय सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट (टर्नओवर अनुमानित बोली राशि से दुगुनी होना आवश्यक है।	वित्तीय वर्ष– दस्तावेज एनेक्सर पर संलग्न हैं। 2014–15 का एनेक्सर नं............................... 2015–16 का एनेक्सर नं............................... 2016–17 का एनेक्सर नं...............................
13	पिछले 3 वित्तीय वर्षो में आयकर जमा का विवरण	वित्तीय वर्ष– निम्न आयकर जमा कराया है एवं कर निर्धारण आदेश की प्रति सलग्न है। 2014–15 राशि रू.............का एनेक्सर नं....... 2015–16 राशि रू.............का एनेक्सर नं....... 2016–17 राशि रू.............का एनेक्सर नं.......
14	बिडर के बैक खाते का विवरण	खाता संख्या... बैक/ब्रांच का नाम.. आईएफएससी कोड...
15	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता, फोन नं. एवं मेल आई डी	
16	बिडर का बायोडेटा	एनेक्सर .... पर संलग्न है

दिनांकः   हस्ताक्षर (बोलीदाता)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

वित्तीय बोली

SCHEUDLE "H "

क्र. सं.	मद संख्या	मद विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित दर समस्त करों सहित
1	1	**देवदर्शन विश्रामगृह जाडेचीजी राजभवन, रेल्वे स्टेशन के पास जोधपुर,(8620 वर्ग फुट कवर्ड एरिया, वी.आई.पी. रूम संख्या 02, साधारण रूम संख्या 16, डॉरमेन्टरी 16 बैड की।**	15,40,000	अंको में....................................... शब्दों में.....................................

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
कम्पनी का नाम
बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पद एवं स्थिति
मोबाईल नं.
मेल आईडी

नोट :–1. प्रस्तावित दर ईप्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन इन्द्राज करें। दर वार्षिक आधार पर ही मान्य होगी।
2. समस्त प्रकार के करों यथा आयकर/जी.एस.टी. आदि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा किया जायेगा।

Annexure 14: Copy of circular issued by Finance Department, Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग

क्रमांक: एफ.1(8)वित्त / साविलेनि / 2011

जयपुर, दिनांक: 4 फरवरी, 2013

परिपत्र सं. - 3/2013

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012)** एवं **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013)** राज्य में **दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी** हो गये है। समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Works) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उक्त अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत **राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (State Procurement Facilitation Cell) का गठन किया जा चुका है।** उक्त प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग को बनाया गया है यदि उपापन संस्था उक्त अधिनियम एवं नियमों के संदर्भ में कोई जानकारी की अपेक्षा रखती है तो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रकरण राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 में दिये गये प्रावधान के तहत **राज्य लोक उपापन पोर्टल (*http://sppp.raj.nic.in*) बना दिया गया है।** उपापन संस्था अधिनियम की धारा 17 (2) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पालना सुनिश्चित करावें।

Doc1

उक्त अधिनियम के अध्याय 3 एवं नियमों के अध्याय 7 के अनुसार बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला (bidder or prospective bidder) उपापन प्रक्रिया के दौरान उपापन संस्था के किसी निर्णय, कार्रवाई या लोप, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों के उपबन्धो के उल्लंघन में है तो वह अपील दाखिल कर सकेगा। इस संबंध में बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों, रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में प्रथम अपील अधिकारी का पदाभिहित (designated) विनिर्दिष्ट (specified) उल्लेख उपापन संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक है। *अतः, अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित समस्त विभाग/संगठन अपने स्तर पर प्रथम अपील अधिकारी का निर्धारण कर वित्त विभाग को दिनांक 15 फरवरी, 2013 तक सूचित करें।* यहां यह उल्लिखित करना उपयुक्त होगा कि प्रथम अपील अधिकारी उपापन संस्था से एक स्तर उच्च होना आवश्यक है। द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सरकार के विभागों के लिये संबंधित प्रशासनिक विभाग होगा। यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं उपापन संस्था या प्रथम अपील अधिकारी है तो वित्त विभाग प्रथम/द्वितीय अपील अधिकारी होगा। ऐसे मामलों में जहां वित्त विभाग प्रथम अपील अधिकारी है तो द्वितीय अपील अधिकारी प्रकरण विशेष के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित (designated) किया जायेगा।

उक्त अधिनियम के अनुसार सामग्री, सेवा, संकर्म के उपापन के लिये स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेन्ट्स प्रक्रियाधीन है। *अधिनियम की धारा 59 (Savings) के अनुसार इस अधिनियम में उपबन्धित सामग्री, सेवा एवं संकर्मों के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनायें, विभागीय संहिताएँ, निर्देशिकायें, उपविधियां, शासकीय ज्ञापन या परिपत्र जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को प्रवृत्त थे, उनके इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत होने की सीमा तक तब तक प्रवर्त बने रहेगें जब तक कि उनको इस अधिनियम के अधीन बनाये या जारी किये गये नियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तो, अधिसूचना या यथास्थिति आदेश द्वारा निरसित या अतिक्रमित नहीं कर दिया जाता।* अतः, उक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार सामग्री या सेवा के उपापन के लिये वर्तमान प्रचलित बिड दस्तावेज सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट II में दिये गये SR फार्म 14, 15, 16 और 17 तथा संकर्म के उपापन के लिये सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के अपेण्डिक्स XI में दिये गये वर्तमान प्रचलित दस्तावेज बोली दस्तावेजों के रूप में अधिनियम व नियमों के प्रावधानों की सीमा तक प्रयोग किये जा सकेगें, जब तक कि नवीन स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेन्ट्स जारी नहीं किये जाते है। तथापि **निम्नांकित संलग्नक (Annexures) वर्तमान प्रचलित बोली दस्तावेजों के साथ सम्मिलित करते हुये ही बिड दस्तावेज जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये–**

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest
Annexure B : Declaration by Bidders regarding Qualifications

Doc I

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process
Annexure D : Additional Conditions of Contract

अतः प्रशासनिक विभाग अपने अधीन समस्त विभागो, कार्यालयों एवं संगठनो से उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः **Annexure A to D**

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / समस्त अति. मुख्य सचिव / समस्त प्रमुख शासन सचिव / समस्त शासन सचिव / समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर। 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। 6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। 12. समस्त कोषाधिकारी।
13. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि परिपत्र को को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांक प. 12(...)देव/2015

जयपुर, दिनांक 9/12/15

:: आदेश ::

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना में वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1(8)वित्त/सा.वि.नि./2011 जयपुर दिनांक 4.2.2013 के अनुसार सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जयपुर (प्रथम/द्वितीय)/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/वृन्दावन/ऋषभदेव/हनुमानगढ़/भरतपुर/उदयपुर जो कि स्वतंत्र उपापन संस्था है, के लिए द्वितीय अपील अधिकारी एवं [illegible] मामलों में आयुक्त देवस्थान विभाग उपापन संस्था है के लिए प्रथम अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव देवस्थान [illegible] होंगे।

आज्ञा से,

(विजेन्द्र कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग।
2. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग को निवेदन लेख है कि जिन मामलों में आयुक्त देवस्थान विभाग उपापन संस्था है, के लिए प्रथम अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग को बनाया गया है अतः द्वितीय अपील अधिकारी [illegible] का श्रम करावें।
3. [illegible] महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
5. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर (प्रथम/द्वितीय)/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/वृन्दावन/ऋषभदेव/हनुमानगढ़/भरतपुर/उदयपुर
6. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव